राज्य सभा

संसदीय समाचार

भाग-2

सं.56570-56577] **शुक्रवार**, 21 **अप्रैल**, 2017

सं. 56570 *सम्मेलन एवं नयाचार अनुभाग*

संसद सदस्यों तथा उनकी पत्नी/पति को राजनयिक पासपोर्ट जारी किया जाना

संसद सदस्य तथा उनकी पत्नी/पति, सी.पी.वी. प्रभाग, विदेश मंत्रालय, पटियाला हाउस, नई दिल्ली द्वारा जारी किए जाने वाले राजनयिक पासपोर्टों के हकदार हैं। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संशोधित अनुदेश के अनुसार, राजनयिक पासपोर्ट प्राप्त करने के इच्छुक सदस्य तथा उनकी पत्नी/पति, को विदेश मंत्रालय की वेबसाइट www.passportindia.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा और उसके पश्चात् उसकी मुद्रित प्रति, जिस पर आवेदक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षर किए गए हों, सम्मेलन एवं नयाचार अनुभाग (कमरा सं. 527, संसदीय सौध, टेलीफोन नं. 23034527) अथवा नोटिस ऑफिस को हाल के श्वेत पृष्ठभूमि वाले अपने दो रंगीन फोटो (4.5×3.5 से.मी. के आकार के) के साथ भेजना होगा।

जिन सदस्यों अथवा उनकी पत्नी/पति को उनके नाम से कोई अन्य पासपोर्ट जारी किया गया है, तो वे उसे भी अपने आवेदन प्रपत्रों के साथ संलग्न कर दें ताकि उसे सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जा सके।

सदस्यगण कृपया नोट कर लें।

सं. 56571 *सम्मेलन एवं नयाचार अनुभाग*

सदस्यों/उनकी पत्नी/पति के निजी विदेश यात्राओं के लिए वीजा नोट का जारी किया जाना

सदस्यों और उनकी पत्नी/पति द्वारा ऐसे देशों की निजी यात्रा करने के लिए (पर्यटन अथवा मित्रों/सगे संबंधियों से मिलने के लिए), जहां वीजा की आवश्यकता होती है, संबंधित सदस्यों से विशिष्ट अनुरोध प्राप्त होने पर पटियाला हाउस, नई दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय द्वारा वीजा नोट जारी किए जाते हैं।

निजी यात्राओं के लिए वीजा नोट जारी कराने के इच्छुक सदस्य विदेश मंत्रालय से वीजा नोट प्राप्त करने के लिए अपने मांग-पत्र (राज्य सभा के महासचिव के नाम से) अपने राजनयिक पासपोर्टों की छायाप्रतियों सहित, सम्मेलन एवं नयाचार अनुभाग को भेज सकते हैं।

सदस्यों और उनकी पत्नी/पति के राजनयिक पासपोर्टों पर संबंधित विदेशी दूतावास/उच्चायोग से वीजा पृष्ठांकन सदस्यों द्वारा स्वयं करवाया जाए।

उपर्युक्त बातें अपनी विशेषज्ञता तथा विषय विशेष का ज्ञान रखने के कारण सम्मेलनों, संगोष्ठियों आदि में भाग लेने के लिए अपनी व्यक्तिगत हैसियत से, विदेशी आतिथ्य के साथ अथवा उसके बिना, विदेश यात्रा करने वाले सदस्यों के लिए भी लागू हैं।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे इसमें सहयोग करें।

सदस्यों की विदेश यात्रा

सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी विदेश यात्रा के प्रयोजन को दर्शाते हुए उसका ब्यौरा कम से कम 3 सप्ताह पूर्व महासचिव के पास भेज दें ताकि विदेश मंत्रालय और संबंधित भारतीय मिशन/पोस्ट को इसकी सूचना दी जा सके। सदस्यों से यह भी अनुरोध है कि वे अपनी विदेश यात्रा के बारे में अंतिम निर्णय लेने के साथ ही यात्रा संबंधी ब्यौरे श्री ए.के. सिंह, संयुक्त सचिव, प्रभारी, सम्मेलन एवं नयाचार अनुभाग को फैक्स नं. 23093550 पर अथवा इस सचिवालय के सम्मेलन एवं नयाचार अनुभाग को फैक्स नं. 23017548 पर फैक्स कर दें।

विदेश मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 11 सितम्बर, 2006 तथा 3 अक्तूबर, 2016 के का.ज्ञा.सं. एए/122/43/2006 के अनुसार भारतीय मिशन/पोस्ट गणमान्य व्यक्तियों/अधिकारियों की निजी विदेश यात्राओं पर व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं हैं। तथापि सदस्य से अनुरोध प्राप्त होने पर विदेश मंत्रालय और संबंधित दूतावास/पोस्ट से सदस्यों को उनकी निजी निदेश यात्राओं के दौरान आगमन/प्रस्थान पर यथासंभव तथा अनुमत सीमा तक नयाचार और सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाएगा।

उपर्युक्त बातें अपनी विशेषज्ञता तथा विषय विशेष का ज्ञान रखने के कारण सम्मेलनों, संगोष्ठियों आदि में भाग लेने के लिए अपनी व्यक्तिगत हैसियत से विदेशी आतिथ्य के साथ अथवा उसके बिना विदेश यात्रा करने वाले सदस्यों के लिए भी लागू हैं।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे इसमें सहयोग करें।

विदेश मंत्रालय से राजनीतिक स्वीकृति प्राप्त किया जाना

किसी भी विदेशी स्रोत, अर्थात् किसी देश की सरकार, विदेशी संगठनों इत्यादि के सभी निमंत्रण विदेश मंत्रालय के माध्यम से प्राप्त होने की अपेक्षा की जाती है। फिर भी, यदि कोई निमंत्रण सीधे ही प्राप्त होता है, तो सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इसे विदेश मंत्रालय की जानकारी में लाएं और इस प्रयोजनार्थ उस मंत्रालय की आवश्यक राजनीतिक स्वीकृति भी प्राप्त करें।

सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे राजनीतिक पूर्व-स्वीकृति प्राप्त करने के लिए www.epolclearance.gov.in लिंक का प्रयोग करते हुए सीधे ही विदेश मंत्रालय में आवेदन करें और यह सुनिश्चित करें कि विदेश यात्रा शुरु करने से पूर्व विदेश मंत्रालय से आवश्यक राजनीतिक स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है। कृपया, अनुरोध कम-से-कम 3 सप्ताह पहले किए जाएं।

विदेश मंत्रालय से समय पर राजनीतिक स्वीकृति मांगने से मंत्रालय आमंत्रण भेजने वाले विदेशी संगठन की महत्ता, मंच की उपयुक्तता, जनहित, आदि को ध्यान में रखते हुए सदस्यों को संस्तुति कर सकता है।

उपयुक्त बातें निजी यात्राओं (पर्यटन, मित्रों/सगे संबंधियों से मिलने के लिए, आदि) के लिए भी लागू हैं।

आधिकारिक यात्राओं के मामले में, राज्य सभा सचिवालय सदस्यों की ओर से विदेश मंत्रालय से राजनीतिक स्वीकृति मांगेगा।

कृपया, यह सुनिश्चित किया जाए कि उन यात्राओं के दौरान उनकी किसी भी गतिविधि का अनभिप्रेत प्रभाव यह न पड़े कि सदस्य संसद की ओर से किसी सरकारी दौरे पर हैं।

सदस्यगण कृपया नोट कर लें।

सं. 56574 *सम्मेलन एवं नयाचार अनुभाग*

संसद सदस्यों द्वारा विदेशी आतिथ्य स्वीकार किया जाना

सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी निजी विदेश यात्राओं अथवा व्यक्तिगत हैसियत से विदेश यात्राओं के दौरान कोई विदेशी आतिथ्य स्वीकार करने के लिए विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त कर लें।

गृह मंत्रालय (विदेशी राष्ट्रिक प्रभाग एफसीआरए स्कंध) द्वारा उनके का.ज्ञा. सं. II/11/21022/58(97)/2011-*एफसीआरए-I, दिनांक 11 जून, 2012 के माध्यम से जारी किए गए नए दिशानिर्देशों के अनुसार सदस्यों के लिए मंत्रालय की वेबसाइट:* http://mha.nic.in/fcraweb/fc_online.htm *पर एफसी-2 प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन भरना और संबंधित सदस्य द्वारा विधिवत् रूप से हस्ताक्षरित उसकी एक हार्ड कॉपी मेजबान अथवा मेजबान देश, जैसा भी मामला हो, से प्राप्त निमंत्रण पत्र सहित, राज्य सभा सचिवालय (सम्मेलन एवं नयाचार अनुभाग, कमरा सं. 527, संसदीय सौध, नई दिल्ली) के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई हेतु गृह मंत्रालय भेजना अपेक्षित है।*

विलम्ब से बचने के लिए, सदस्यों को यह सलाह दी जाती है कि विदेशी आतिथ्य की स्वीकृति हेतु उनके प्रार्थना-पत्र विदेश यात्रा किए जाने की प्रस्तावित तारीख से कम-से-कम दो सप्ताह पहले गृह मंत्रालय के पास पहुंच जाने चाहिए।

आतिथ्य स्वीकार करने से पूर्व सदस्य स्वयं को आतिथ्य प्रदान करने वाले संगठन/संस्था की विश्वसनीयता के बारे में संतुष्ट कर लें।

सदस्यगण कृपया नोट कर लें।

सं. 56575 *सम्मेलन एवं नयाचार अनुभाग*

संसद सदस्यों अथवा उनकी पत्नी/पति द्वारा राजनयिक पासपोर्टों का उपयोग

संसद सदस्यों अथवा उनकी पत्नी/पति द्वारा राजनयिक पासपोर्टों के उपयोग के संबंध में विदेश मंत्रालय से एक पत्र सं. VII/403/1/2010 दिनांक 21 जनवरी, 2010 प्राप्त हुआ था जिसके सुसंगत अंश सदस्यों की सूचना के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं:-

"x x x

माननीय संसद सदस्यों अथवा उनकी पत्नी/पति द्वारा गैर-सरकारी अथवा गैर-संसदीय कार्य, उदाहरणस्वरूप अवकाश के लिए, अथवा वकील, चिकित्सक, व्यवसायी अथवा वास्तुकार के रूप में व्यावसायिक कार्य, इत्यादि के लिए उपयोग किए जा रहे राजनयिक पासपोर्टों का प्रश्न उठाया गया है।

राजनयिक पासपोर्ट उन व्यक्तियों को, जो राजनयिक हैसियत रखते हैं और जिन्हें राजनयिक कार्यों के लिए विदेश भेजा जाता है अथवा उन व्यक्तियों को, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित कतिपय पदों पर आसीन होते हैं, जारी किए जाते

हैं। राजनयिक पासपोर्ट ऐसे व्यक्तियों की पत्नी/पति को उनके साथ विदेश यात्राओं पर जाने के लिए जारी किए जाते हैं। यद्यपि राजनयिक पासपोर्टों का उपयोग निजी दौरे [पर्यटन अथवा मित्रों/सगे-संबंधियों से मिलने के लिए] के लिए किया जा सकता है, **फिर भी ये उनके कार्य एवं व्यवसाय हेतु विदेश यात्रा किए जाने के लिए नहीं होते हैं।**

विदेशी मिशनों को संबोधित वीजा नोट जारी करते समय, दौरे का प्रयोजन, अर्थात् सरकारी अथवा निजी, निर्दिष्ट किया जाता है। तथापि, इस मंत्रालय के वीजा नोट का ख्याल किए बिना, आवेदक के वीजा को मंजूर अथवा नामंजूर करना विदेशी मिशनों का विशेषाधिकार होता है।

राजनयिक पासपोर्टों के उपयोग के संबंध में उपर्युक्त स्थिति माननीय संसद सदस्यों के ध्यान में लाई जाए।

x x x"

सदस्यों से अनुरोध है कि वे कृपया सहयोग करें।

सं.56576 *समिति समन्वय अनुभाग*

विभाग संबंधित वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति (2016-17) **द्वारा विषय का चयन**

विभाग संबंधित वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है और वर्ष 2016-17 के दौरान विस्तृत जांच के लिए '500 रुपए तथा 1000 रुपए के भारतीय मुद्रा नोटों का विमुद्रीकरण तथा उसका प्रभाव' के स्थान पर अब 'विमुद्रीकरण और डिजीटल अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव' विषय का चयन किया है।

7, **अप्रैल** 2017 **को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान**
राज्य सभा के पटल पर रखे गए कानूनी आदेश
(242**वां सत्र**)

विधान की प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन बनाए गए और राजपत्र में प्रकाशित निम्नलिखित कानूनी नियम तथा आदेश 7 अप्रैल, 2017 को समाप्त हुए सप्ताह की अवधि के दौरान राज्य सभा के पटल पर रखे गए। ये आदेश सभा पटल पर एक या दो या उससे अधिक उत्तरोत्तर सत्रों में पूरी होने वाली 30 दिनों की अवधि तक रहेंगे। सदस्य उस सत्र, जिसमें सभा पटल पर रखने की 30 दिन की अवधि पूरी हो गई हो, के तुरंत बाद वाले सत्र की समाप्ति से पूर्व संशोधन/निरसन हेतु प्रस्ताव उपस्थित कर सकते हैं।

क्र. सं.	नियम/आदेश की संख्या तथा तारीख	संक्षिप्त विषय	सभा पटल पर रखे जाने की तारीख	कानून का उपबंध, जिसके अधीन सभा पटल पर रखा गया
1	2	3	4	5
		कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)		
1.	सा.का.नि. 126(अ), दिनांक 14 फरवरी, 2017.	आम बीज गिरी श्रेणीकरण और चिह्ननांकन नियम, 2017.	07.04.2017	कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्ननांकन) अधिनियम, 1937 की धारा 3(2).
2.	सा.का.नि. 231(अ), दिनांक 10 मार्च, 2017.	सफेद मूसली श्रेणीकरण और चिह्ननांकन नियम, 2017.	-तदेव-	-तदेव-

3.	का.आ. 799(अ), दिनांक 10 मार्च, 2017.	मूल अधिसूचना में कतिपय प्रविष्टियों का लोप करने के लिए अधिसूचना सं. का.आ. 2486(अ), दिनांक 24 सितम्बर, 2014 का संशोधन करना।	07.04.2017	कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 36(3).
4.	का.आ. 895(अ), दिनांक 21 मार्च, 2017.	उर्वरक (नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 2017.	07.04.2017	आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3(6).
		संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग)		
5.	फा. सं. 21-4/2016-बीएंडसीएस, दिनांक 3 मार्च, 2017.	दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं अन्तःसंयोजन (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017.	07.04.2017	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37.
6.	फा. सं. 21-5/2016-बीएंडसीएस, दिनांक 3 मार्च, 2017.	दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं - सेवा की गुणवत्ता के मानक तथा उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल प्रणालियां) विनियम, 2017.	-तदेव-	-तदेव-

विदेश मंत्रालय

7.	सा.का.नि. 672(अ), दिनांक 8 जुलाई, 2016.	सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैर-कानूनी गतिविधि निषेध) कार्यान्वयन नियम, 2016.	06.04.2017	सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली (गैर-कानूनी गतिविधि निषेध) अधिनियम, 2005 की धारा 27(2).

वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)

8.	सं. 12/2017-सीमा-शुल्क, दिनांक 5 अप्रैल, 2017.	टैरिफ रेट कोटा (टीआरक्यू) के अंतर्गत 5 लाख मिट्रिक टन की मात्रा तक अपरिशोधित चीनी के 12 जून, 2017 तक शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति देने के लिए अधिसूचना संख्या 12/2012-सीमा-शुल्क, दिनांक 17 मार्च, 2017 का और संशोधन तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।	05.04.2017	सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159.

गृह मंत्रालय

9.	सा.का.नि. 246(अ), दिनांक 15 मार्च, 2017.	सीमा सुरक्षा बल उप महानिरीक्षक (पशु चिकित्सक) भर्ती नियम, 2017.	05.04.2017	सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141(3).

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग)

10.	सं. ई.एफ़.एल.यू./ओ./आर एण्ड आर/2016, दिनांक 29 नवम्बर, 2016.	अंग्रेज़ी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद के परिनियम और अध्यादेश।	06.04.2017	अंग्रेज़ी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 45(2).
11.	सा.का.नि. 293(अ), दिनांक 24 मार्च, 2017.	भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, शिबपुर, परिनियम, 2017, का परिनियम।	06.04.2017	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान अधिनियम, 2007 की धारा 26(1) के अधीन विरचित।

श्रम और रोजगार मंत्रालय

12.	सा.का.नि. 471(अ), दिनांक 10 जून, 2015.	भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) केंद्रीय (संशोधन) नियम, 2015.	05.04.2017	भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 62(3).
13.	का.आ. 827(अ), दिनांक 15 मार्च, 2017.	कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 30 और पैरा 38 के उप-पैरा (1) के प्रयोजनों के लिए नियोजक द्वारा 1 अप्रैल, 2017 से संदेय प्रशासनिक प्रभारों का निर्धारण करना।	05.04.2017	कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7(2).

14.	का.आ. 828(अ), दिनांक 15 मार्च, 2017.	कर्मचारी जमा सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के प्रशासन के संबंध में व्ययों को पूरा करने के लिए उक्त स्कीम के द्वारा या उसके अधीन दिए गए किन्हीं लाभों की लागत के मद्दे व्ययों से भिन्न, जमा सहबद्ध बीमा निधि को नियोजक द्वारा प्रति माह अपने कर्मचारियों के संबंध में तत्समय संदेय रकम के रूप में कोई और रकम संदेय नहीं होने का उल्लेख।	05.04.2017	कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7(2).
		कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)		
15.	सा.का.नि. 1106(अ), दिनांक 30 नवम्बर, 2016.	भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) द्वितीय संशोधन विनियम, 2016.	06.04.2017	अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3(2).
16.	सा.का.नि. 1107(अ), दिनांक 30 नवम्बर, 2016.	भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन नियमावली, 2016.	-तदेव-	-तदेव-

17.	सा.का.नि. 1104(अ), दिनांक 30 नवम्बर, 2016.	भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) तृतीय संशोधन विनियमावली, 2016.	06.04.2017	अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3(2).
18.	सा.का.नि. 1105(अ), दिनांक 30 नवम्बर, 2016.	भारतीय वन सेवा (वेतन) द्वितीय संशोधन नियमावली, 2016.	-तदेव-	-तदेव-
19.	सा.का.नि. 1177(अ), दिनांक 27 दिसम्बर, 2016.	भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) चतुर्थ संशोधन विनियमावली, 2016.	-तदेव-	-तदेव-
20.	सा.का.नि. 1178(अ), दिनांक 27 दिसम्बर, 2016.	भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) द्वितीय संशोधन नियमावली, 2016.	-तदेव-	-तदेव-
21.	सा.का.नि. 1193(अ), दिनांक 30 दिसम्बर, 2016.	भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) पांचवां संशोधन विनियमावली, 2016.	-तदेव-	-तदेव-

22.	सा.का.नि. 1194(अ), दिनांक 7 दिसम्बर, 2016.	भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) तृतीय संशोधन नियमावली, 2016.	06.04.2017	अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3(2).
23.	सा.का.नि. 83(अ), दिनांक 1 फरवरी, 2017.	भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) संशोधन विनियमावली, 2017.	-तदेव-	-तदेव-
24.	सा.का.नि. 84(अ), दिनांक 1 फरवरी, 2017.	भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) संशोधन नियमावली, 2017.	-तदेव-	-तदेव-
25.	सा.का.नि. 81 (अ), दिनांक 1 फरवरी, 2017.	भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) द्वितीय संशोधन विनियमावली, 2017.	-तदेव-	-तदेव-
26.	सा.का.नि. 82(अ), दिनांक 1 फरवरी, 2017.	भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) द्वितीय संशोधन नियमावली, 2017.	-तदेव-	-तदेव-
27.	सा.का.नि. 171(अ), दिनांक 27 फरवरी, 2017.	भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) संशोधन विनियमावली, 2017.	-तदेव-	-तदेव-
28.	सा.का.नि. 172(अ), दिनांक 27 फरवरी, 2017.	भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन नियमावली, 2017.	06.04.2017	अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3(2).

29.	सा.का.नि. 179(अ), दिनांक 28 फरवरी, 2017.	भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) द्वितीय संशोधन विनियमावली, 2017.	-तदेव-	-तदेव-
30.	सा.का.नि. 180(अ), दिनांक 28 फरवरी, 2017.	भारतीय वन सेवा (वेतन) द्वितीय संशोधन नियमावली, 2017.	-तदेव-	-तदेव-
31.	सा.का.नि. 205(अ), दिनांक 8 मार्च, 2017.	भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) तृतीय संशोधन विनियमावली, 2017.	-तदेव-	-तदेव-
32.	सा.का.नि. 206(अ), दिनांक 8 मार्च, 2017.	भारतीय वन सेवा (वेतन) तृतीय संशोधन नियम, 2017.	-तदेव-	-तदेव-
33.	सा.का.नि. 244(अ), दिनांक 15 मार्च, 2017.	समूह 'ख' पदों (अनुभाग अधिकारी और निजी सचिव पद से भिन्न) और समूह 'ग' पदों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी, अनुशासनिक प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग आदेश, 2017.	06.04.2017	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 29.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

34.	फा. सं. पी.एन.जी.आर. बी./ एम.(सी)/62/2016, दिनांक 19 दिसम्बर, 2016.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ) संशोधन विनियम, 2016.	05.04.2017	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 62.

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

35.	सं. 63(अ), दिनांक 20 जनवरी, 2017.	शिक्षुता (संशोधन) नियम, 2017.	06.04.2017	शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37(3).
36.	सा.का.नि. 186(अ), दिनांक 2 मार्च, 2017.	शिक्षुता (द्वितीय संशोधन) नियम, 2017.	-तदेव-	-तदेव-

शमशेर के. शरीफ,
महासचिव।